

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

क्रमांक 132/कलेक्टर/भू-अर्जन/प्रस्तुतकार/2026

नारायणपुर, दिनांक 22/05/2026

// अधिसूचना //

रा.प्र.क्र.-202505170400029/अ-82/2024-25, 202505170500005/अ-82/2024-25, 202505170400027/
अ-82/2024-25 एवं 202505170400028/अ-82/2024-25 चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे
अनुसूची में वर्णित भूमि ग्राम बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोन्नार होते हुए जिला मुख्यालय नारायणपुर तक 21.00 कि.मी सड़क निर्माण
के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह
घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

- अनुसूची -

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)
1	2	3	4	5
नारायणपुर	छोटेडोंगर	परपा/29	1	0.1320
			5	0.0836
			46	0.0264
			45	0.0726
			30	0.0836
			43	0.0110
			44	0.0594
			42/1	0.0726
			40	0.0440
			29	0.0440
योग :-			10	0.6292
नारायणपुर	छोटेडोंगर	कुम्हारीबेड़ा/30	138	0.049
			139	0.051
			147	0.028
			123	0.034
			122	0.034
			119	0.064
			151	0.013
			150	0.055
योग :-			8	0.328


कलेक्टर
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर	नारायणपुर	ताड़ोनार/25	4	0.1408
			11	0.0620
			17	0.0240
			18	0.0836
			55	0.1364
			56	0.0638
योग :-			6	0.5106
नारायणपुर	नारायणपुर	गोटाबेनूर/23	4	0.061
			17	0.130
			16	0.012
			20	0.022
			13	0.05
			24	0.18
			26	0.004
			39	0.19
			40	0.040
योग :-			9	0.689✓
कुल योग :-			33	2.157

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार




नम्रता जैन

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

1. सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अ.वि.अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर को मूल प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) जिला नारायणपुर (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही एवं अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र तथा स्थानीय क्षेत्र के मुख्य स्थानों/चौराहों में प्रकाशन कराकर उक्त प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर को उपलब्ध करावे।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग- 1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला नारायणपुर को छ.ग. शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. तहसीलदार नारायणपुर को अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सहायक संचालक (जनसंपर्क) जिला नारायणपुर को उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. सचिव, ग्राम पंचायत कुम्हारीबेड़ा/गोटाबेनूर/ताड़ोनार/परपा (जनपद पंचायत नारायणपुर) जिला नारायणपुर को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


नम्रता जैन

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग